

आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 167/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाईनेन्सियल सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड, के-14, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, अशोक  
नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री तेजेन्द्र पाल सिंह छाबडा पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह छाबडा,  
श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जीत सिंह,  
पता:- 514/5, राजापार्क, गली नं. 5, जवाहर नगर, जयपुर।  
एवं अगीतांश पर्ल, छठी मंजिल के ऊपर, के 48/49, रूफ टॉप टेरेस, इन्कम टेक्स कॉलोनी,  
गांधी नगर ओसटी, जयपुर।  
एवं प्लॉट नं. 514, गली नं. 5, राजापार्क, जयपुर।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जीत सिंह,  
पता:- 514/ए5, व्यास मार्ग, राजापार्क, जवाहर नगर, जयपुर।  
एवं अगीतांश पर्ल, छठी मंजिल के ऊपर, के 48/49, रूफ टॉप टेरेस, इन्कम टेक्स कॉलोनी,  
गांधी नगर ओसटी, जयपुर।  
एवं प्लॉट नं. 514, गली नं. 5, राजापार्क, जयपुर।
3. श्रीमती अमरजीत कौर छाबडा पत्नी श्री हरबंश सिंह खुराना,  
पता:- 514/ए5, व्यास मार्ग, राजापार्क, जवाहर नगर, जयपुर।  
एवं प्लॉट नं. 514, गली नं. 5, राजापार्क, जयपुर।
4. मैसर्स पंजाब दा पुत्र,  
पता:- अगीतांश पर्ल, छठी मंजिल के ऊपर, के 48/49, रूफ टॉप टेरेस, इन्कम टेक्स  
कॉलोनी, गांधी नगर ओसटी, जयपुर।  
एवं प्लॉट नं. 514, गली नं. 5, राजापार्क, जयपुर।
5. मैसर्स अमृत केटरर्स,  
पता:- सी-सी-261, गोल मार्केट, जवाहर नगर, जयपुर।  
एवं प्लॉट नं. 514, गली नं. 5, राजापार्क, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्रीमती विमला चंदिरा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश


दिनांक 15.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक  
28.06.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र सिंह छाबडा के  
स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 514, गली नं. 5, राजा पार्क, जयपुर, क्षेत्रफल 236.70 वर्गमीटर  
को बन्धक रख कर कुल राशि 74,25,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।  
अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की

५५०  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.09.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 74,25,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 90,45,632.98/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.09.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र सिंह छाबड़ा के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 514, गली नं. 5, राजा पार्क, जयपुर, क्षेत्रफल 236.70 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 15.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



400  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर